

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार स प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 470]

नई दिल्ली, बुधवार, दिसम्बर 30, 1970/पौष 9, 1892

No. 470] NEW DELHI, WEDNESDAY, DECEMBER 30, 1970/PAUSA 9, 1892

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed
as a separate compilation

MINISTRY OF FOREIGN TRADE

ORDER

IMPORT TRADE CONTROL

New Delhi, the 30th December 1970

S.O. 4106.—In exercise of the powers conferred by Section 3 of the Imports and Exports (Control) Act, 1947 (18 of 1947), the Central Government hereby makes the following Order further to amend the Imports (Control) Order, 1955, namely:—

1. This Order may be called the Imports (Control) Eighth Amendment Order, 1970.

2. In the Imports (Control) Order, 1955—

In sub-clause (3) of Clause 5, after item (i), the existing proviso shall be substituted by the following namely:—

“Provided that the conditions under items (i) and (ii) of this sub-clause shall not apply in relation to the licences issued to the State Trading Corporation of India, the Minerals and Metals trading Corporation of India and other institutions or agencies owned or controlled by the Central Government and which are entrusted with canalisation of imports.”

[No. 11/70.]

R. J. REBELLO,

Chief Controller of Imports & Exports.

विदेश व्यापार मंत्रालय

आदेश

आयात व्यापार नियंत्रण

नई दिल्ली, 30 दिसम्बर 1970

एस० ओ० 4106.—आयात तथा निर्यात (नियंत्रण) अधिनियम, 1947 (1947 का 18) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार आयात (नियंत्रण) आदेश, 1955 में आगे संशोधन करने के लिए निम्नलिखित आदेश का निर्माण करती है, अर्थात् :—

1. इस आदेश को आयात (नियंत्रण) आठवां संशोधन आदेश, 1970 की संज्ञा दी जाए ।

2. आयात (नियंत्रण) आदेश, 1955 में—

“धारा 5 की उपधारा (3) में मद (2) के पश्चात् वर्तमान व्यवस्था निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

“बशर्ते कि प्रस्तुत उपधारा की मद (1) तथा (2) के अन्तर्गत भारत राज्य व्यापार निगम, भारत खनिज तथा धातु व्यापार निगम तथा अन्य संस्थाएं या अभिकरण जो केन्द्रीय सरकार द्वारा स्वाधिकृत या नियंत्रित हैं और जिन्हें आयात के सरणीबद्ध के साथ कार्यभार सौंपा गया है, उनके लिए जारी किए गए लाइसेंसों के सम्बंध में शर्तें लागू नहीं होंगी ।”

[सं० 11/70]

आर० जे० रबेलो,

मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात ।